अज अदालत सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी), शिवगंज

बइजलास श्री नीरज मिश्र, आर0ए0एस0

वादी

वेनाराम के कायम मुकाम

1/1 भूरीदेवी पत्नि श्री वेनाराम, जाति घांची, निवासी मनादर, तहसील शिवगंज व जिला सिरोही।

1/2 लक्ष्मीदेवी पुत्री श्री वेनाराम, पत्नि पारसजी, जाति घांची, निवासी मनादर, हाल सेदरीयां।

1/3 हिरालाल पुत्र श्री वेनाराम, जाति घांची, निवासी मनादर, तहसील शिवगंज, जिला सिरोही।

1/4 रिंकु पुत्री श्री वेनाराम, जाति घांची, उम्र 20 वर्ष, निवासी मनादर, तहसील शिवगंज, जिला सिरोही।

बनाम

प्रतिवादीगण

1. छैलसिंह पुत्र श्री मूलसिंहजी, जाति राजपुत, निवासी मनादर।
2. रूपसिंह पुत्र श्री मूलसिंहजी, जाति राजपुत, निवासी मनादर।
3. माधुसिंह पुत्र श्री मूलसिंहजी, जाति राजपुत,, निवासी मनादर।
4. जब्बरसिंह पुत्र श्री भवानीसिंह, जाति राजपुत,, निवासी मनादर।
5. हडमतसिंह पुत्र श्री भवानीसिंह, जाति राजपुत,, निवासी मनादर।
6. प्रतापसिंह पुत्र श्री भवानीसिंह, जाति राजपुत,, निवासी मनादर।
7. मोहनलाल पुत्र श्री पुनमारामजी, जाति घांची, निवासी मनादर।
8. गणेशाराम पुत्र श्री पुनमारामजी, जाति घांची, निवासी मनादर।
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, शिवगंज, तहसील शिवगंज, जिला सिरोही।

विद्वान अधिवक्ता श्री जितेन्द्रसिंह राठौड़

विद्वान अधिवक्ता श्री श्रवणकुमार परिहार

(मुहर: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शिवगंज (राजस्थान))

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 92 ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वाद संख्या 02/2016

–::निर्णय::–

दिनांक 02.05.2025

राजस्व वाद अर्न्तगत धारा 88, 92 ए, 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत वादीगण ने जरिये अधिवक्ता विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश किया। संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादी के खातेदारी तथा कब्जे काश्त की आराजी मौजा मनादर–2 में आई हुई है, जिसके चालू जमाबंदी के नये खाता संख्या–470, खसरा संख्या–2926/3, कुल किता एक रकबा 10 बीघा भूमि आई हुई है। वादी के सगे भाई स्वर्गीय श्री सांकलाराम पुत्र पुनमाजी जाति घाँची निवासी मनादर के खातेदारी तथा कब्जा काश्त की कृषि आराजी मौजा मनादर 2 में आई हुई है, जिसकी चालु जमबंदी की अनुसार .नये खाता संख्या–521 खसरा संख्या–2926/4 रकबा–10 बीघा कुल किता एक रकबा–10 बीघा वादी व वादी के भाई सांकलाराम को उपरोक्त आराजी का आबंटन किया गया था तथा मौके पर नक्शा में दर्शित पूर्व दिशा के तरफ की आराजी का कब्जा सुपुर्द किया गया था, वादी की आराजी के खसरा संख्या 2926/3 तथा सांकलाराम के खातेदारी की आराजी के खसरा संख्या 2926/4 दर्शित किया गया था, तब से वादी व उसका भाई खसरा संख्या 2926 की आराजी के पूर्व दिशा की तरफ की आराजी पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। वादी व वादी के भाई सांकलाराम की आराजी को संलग्न नक्शा में मार्क **ABCD** दर्शाया गया है, जिसे वादपत्र का अंग माना जावे। वादी के साथ ही कस्तुरा पुत्र ओटाजी को 10 'दस' बीघा भूमि का आबंटन किया गया था तथा शेष 13.07 'तेरह बीघा सात बिस्वा' भूमि का आबंटन रणछोडदास पुत्र श्री नारायणदास निवासी मनादर को किया गया था। रणछोड को वादी की आराजी के पश्चिम दिशा की तरफ तथा उसके पश्चिम में कस्तुरा को भूमि का आबंटन कर कब्जा सुपुर्द किया गया था। वादी ने पद संख्या एक व दो में वर्णित आराजी को काश्त हेतु काफी रकम लगाकर उसे उपजाउ बनाया तथा काश्त योग्य बनाया है। रणछोडदास व कस्तुरा की आराजी वादी की आराजी के पश्चिम दिशा की तरफ स्थित है यानि उक्त दोनों की आराजी खसरा संख्या 2926 के पश्चिम दिशा में स्थित है। वादी व उसके भाई के खातेदारी की नक्शा में दर्शित मार्क **ABCD** की आराजी पर वादी ही आबंटन के समय से लगातार शांतिपूर्वक बिना किसी रोकटोक व सर्वसाधारण की जानकारी में खेती करते आ रहे है। वादी के भाई स्वर्गीय श्री सांकलाराम का देहान्त कई वर्षो पूर्व हो चुका है, उसके पीछे प्रथम श्रेणी के कोई वारिस एवं उत्तराधिकारी नहीं है। वादी व प्रतिवादी संख्या 7 सात व 8 आठ उसके द्वितीय श्रेणी के वारिसान है तथा वादी व प्रतिवादी संख्या 7 सात व 8 आठ को सांकलारामजी के हिस्से की आराजी उत्तराधिकार में प्राप्त हुई है। सांकलाराम की भूमि पर वादी व प्रतिवादी संख्या 7 सात व 8 आठ बतौर उत्तराधिकारी काबिज है तथा काश्त कर रहे है। रणछोडदास ने अपने खातेदारी की आराजी का विक्रय प्रतिवादी संख्या 01 एक से 03 तीन को किया गया है

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeraj Mishra
Date: 2025.10.27 13:03:44 IST
Reason: SelfAttested

लगातार पेज–2

सहायक कलक्टर
शिवगंज (सिरोही)

तथा कस्तुराराम ने अपने खातेदारी की आराजी का विकय प्रतिवादी संख्या 04 चार से 06 छ को किया गया है, जिसके आधार पर प्रतिवादी संख्या एक से छ के नाम से आराजी के नामान्तकरण दर्ज किया गया है। मौके पर वादी व वादी के भाई स्वर्गीय सांकलाराम के खातेदारी की आराजी खसरा संख्या 2926 के पूर्व दिशा की तरफ आई हुई है जहाँ पर वादी पिछले कई वर्षो से लगातार शांतिपूर्वक काबिज होकर काश्त करता आ रहा है, लेकिन राजस्व अधिकारियों की गलती से राजस्व अभिलेख में तरमीम नहीं की गई थी, उक्त आराजी राजस्व रेकर्ड में तरमीम नहीं होने का अनुचित फायदा उठाने के आशय से प्रतिवादीगण संख्या एक से छ द्वारा वादी की आराजी के स्थान पर कब्जा कर खेती करना चाहते है, जो सर्वथा गलत है। वादी व उसके भाईयों की आराजी पर प्रतिवादीगण को अवैद्य रूप से प्रवेश करने, उस पर वादी के कब्जा काश्त में दखल करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रतिवादीगण का उक्त कृत्य सर्वथा गलत व विधि विरूद्ध है। प्रतिवादी संख्या एक से छ राजपुत जाति के प्रभावशाली व्यक्ति है, जो अपने धन बल के आधार पर वादी के खातेदारी की आराजी को हडप करना चाहते है, वादी की आराजी पर जबरन कब्जा करना चाहते है, जिसका प्रतिवादीगण को कोई अधिकार नहीं है। प्रतिवादीगण संख्या एक से छ के उक्त कृत्यों से वादी के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वह प्रतिवादी संख्या एक से छ तथा उसके एजेन्टों नौकरों आदि के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी करावें कि प्रतिवादी संख्या एक से छ तथा उसके एजेन्ट, नौकर व परिवारजन वादी व उसके भाईयों के खातेदारी की पद संख्या एक व दो में वर्णित आराजी, जिसे संलग्न नक्षा में मार्क ABCD दर्शाया गया है, में वादी के कब्जा में किसी भी प्रकार की दखल नहीं करे, कब्जा नहीं करे, खेती नहीं करे। मौके पर राजस्व रेकर्ड नक्षा में तरमीम नहीं होने से प्रतिवादीगण संख्या एक से छ वादी की आराजी पर अवैद्य कब्जा करने का प्रयास कर रहे है, जिसका उन्हे कोई अधिकार नहीं हैं। राजस्व रेकर्ड में तरमीम करने का दायित्व राजस्व अधिकारियों का है, लेकिन उनके द्वारा अपने दायित्वों तथा कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया गया है, प्रतिवादी संख्या एक से छ के पूर्व खातेदार द्वारा कभी भी वादी के कब्जा काश्त में दखलंदाजी नहीं की है, प्रतिवादी संख्या एक से छ के उक्त कृत्य से वादी के लिए यह भी आवश्यक हो गया है कि वह राजस्व अभिलेख में वादी व उसके भाईयों के खातेदारी की तरमीम संलग्न नक्शा के अनुसार मार्क ABCD दर्शाए अनुसार करवाए, जिस हेतु वादी का यह वाद वास्ते तरमीम हेतु भी प्रस्तुत है। अतः निवेदन किया है कि वादी का वाद स्वीकार फरमाया जाकर वादी के हक में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न डिकी पारित करावें कि वादपत्र के पद संख्या 2 दो में वर्णित खसरा संख्या 2926/3 की आराजी वादी व प्रतिवादी संख्या 7 सात व 8 आठ के खातेदारी तथा कब्जा की होने बाबत् खातेदारी की घोषणा वादी व प्रतिवादी संख्या 7 सात व 8 आठ के हक में करवाए जाने की डिकी पारित करावें। साथ ही प्रतिवादी संख्या एक से छ तथा उसके एजेन्टों आदि के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की डिकी इस आशय की पारित करावें कि वे वादी व उसके भाईयों के खातेदारी की पद संख्या एक व दो में वर्णित आराजी, जिसे संलग्न नक्शा में मार्क ABCD दर्शाया गया है, में वादी के कब्जा में किसी भी प्रकार की दखल नहीं करे, कब्जा नहीं करे, खेती नहीं करे। व खसरा संख्या 2926 की राजस्व अभिलेख में वादी व उसके भाईयों के खातेदारी की आराजी की तरमीम संलग्न नक्शा के अनुसार मार्क ABCD दर्शाए अनुसार करवाए जाने की डिकी पारित करावें।

वादी का वाद दिनांक 20.05.2016 को दर्ज रजिस्टर्ड कर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये गये । प्रतिवादी संख्या 7 व 8 के सम्मन तामील होने के बावजूद भी अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध दिनांक 2.8.2017 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई । दिनांक 17.01.2019 को प्रतिवादी सं0 1, 3, 4, 5 को समुचित अवसर दिये जाने के पश्चात भी जवाबदावा पेश नहीं करने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए इनका जवाबदावा बंद किया गया। दिनांक 30.07.2024 को प्रतिवादी सं0 7 व 8 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रशांत सोनी ने वकालतनामा के साथ एक प्रार्थनापत्र आदेश 9 नियम 7 सीपीसी सप. धारा 151 सीपीसी पेश किया जिस पर वादी अधिवक्ता को सुना गया। व वादी अधिवक्ता ने उक्त प्रार्थना पत्र पर अनापत्ति पेश की। जिससे उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया व प्रतिवादी सं0 7 व 8 ने जवाब पेश नहीं करना चाहा जिसे रेकर्ड पर लिया गया। दिनांक 31.1.2019 को प्रतिवादी सं0 9 फॉर्मल पक्षकार होने से जवाब पेश नहीं करने से इनका भी जवाबदावा बंद किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeraj Mishra
Date: 2025.10.27 13:03:44 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
शिवगंज (सिरोही)

लगातार पेज–3

वाद सं0 02/2016
स्व.वेनाराम के कायम मुकाम बनाम छैलसिंह व अन्य
अन्तर्गत धारा 88, 92 ए, 188 आरटीएक्ट

उभय पक्ष उपस्थित। उभय वकील पक्षकारान वाद में बहस की जिसे सुना गया। वादी अधिवक्ता द्वारा वाद में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया गया वादी द्वारा उक्त वाद खातेदारी घोषणा, तरमीम व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया हैं। वादी को वाद के पैरा संख्या एक में वर्णित खसरा संख्या 2926/3 रकबा 10 बीघा का आवंटन वादी वैनाराम को हुआ था तथा उसके भाई सांकलाराम को वाद के पैरा संख्या दो में वर्णित खसरा संख्या 2926/4 रकबा 10 बीघा का आवंटन किया गया था तथा वाद के साथ संलग्न नक्शे में दर्शित पूर्व दिशा की तरफ मार्क ABCD की जगह कब्जा सुपुर्द किया गया था। वादी के आराजी की खसरा संख्यां 2926/3 तथा वादी के भाई सांकलाराम के खातेदारी की आराजी के खसरा संख्या 2926/4 दर्शित किया गया था तब से वादी व उसका भाई सांकलाराम खसरा संख्यां 2926 की आराजी के पूर्व दिशा की तरफ की आराजी पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं। उक्त वाद के विचारण के दौरान वादी वैनाराम की मृत्यु हो जाने के उपरान्त उसके कायम मुकाम रेकर्ड पर लिये गये। उक्त वाद में वादीगण द्वारा खातेदारी घोषणा इस आधारो पर चाही गई हैं कि वादी वैनाराम के भाई सांकलाराम की भूमि खसरा संख्या 2926/4 खातेदारी हक अधिकारो की थी परन्तु वादी वैनाराम के भाई सांकलाराम व उनकी पत्नि का नाऔलाद फौत हो जाने से वादी व उसके भाई प्रतिवादीगण संख्या 07 व 08 द्वितीय श्रेणी के वारीसान होने से खातेदारी घोषणा चाही गई हैं। जिससे वादीगण द्वारा सह शपथ कथन किये गये हैं तथा वादी वैनाराम द्वारा पूर्व में स्टांप शपथ पत्र भी नोटेरी से निष्पादित करवाकर प्रस्तुत किया गया हैं जिसमें द्वितीय श्रेणी के वारीसानो का अंकन किया गया हैं। सांकलाराम के द्वितीय श्रेणी के वारीसान घोषणा वादी वैनाराम व प्रतिवादीगण संख्या 07 व 08 के सम्बध में करवाने बाबत् दोराने वाद विचारण किसी द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं करवाई गई तथा दोराने वाद विचारण वादी वैनाराम का स्वर्गवास हो जाने से वैनाराम के कायम मुकाम व प्रतिवादीगण संख्या 07 व 08 सांकलाराम की खातेदारी कृषि आराजी खसरा संख्या 2926/4 रकबा 10 बीघा पर प्रत्येक 1/3 हक हिस्से अनुसार खातेदारी घोषणा करवाकर नामान्तरण दर्ज करवाने के अधिकारी हैं। वादी अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि वादी के साथ ही कस्तुरा पुत्र श्री ओटाजी को 10 बीघा भूमि तथा शेष 13.07 बीघा का आवंटन रणछौड दास पुत्र श्री नारायण दास, निवासी मणादर को किया गया। रणछौड को वादी की आराजी के पश्चिम दिशा की तरफ तथा उसके पश्चिम में कस्तुरा को भूमि का आवंटन कर कब्जा सुपुर्द किया गया। वादी ने अपने कब्जा शुदा पूर्व दिशा की भूमि को काफी रकम लगाकर उपजाउ व काश्त योग्य बनाया था परन्तु प्रतिवादीगण संख्या एक ता छः जिन्होने कस्तुरा पुत्र श्री ओटाजी तथा रणछोड दास पुत्र श्री नारायण दास की खातेदारी भूमि खरीद की थी जिससे उक्त खरीद की आड में प्रतिवादीगण संख्या एक ता छः वादी की भूमि को हडप करना चाहते हैं तथा भूमि विनमय हेतु दबाव बना रहे हैं। उक्त तथ्य वादी वैनाराम की जरह से भी स्पष्ट हैं जिसमे वादी वैनाराम द्वारा बताया गया हैं कि प्रतिवादीगण मुझे परेशान करते है तथा कहते हैं कि तुम्हारी भूमि हमें दो ओर हमारी भूमि तुम लो लेकिन मैं देना नहीं चाहता हुं क्योकि मेरी भूमि अच्छी हैं तथा वादी ने अपनी जिरह में यह भी कथन किया हैं कि रणछोड की भूमि मेरी भूमि के पश्चिम दिशा में आई हुई हैं तथा रणछोड ने अपनी आराजी प्रतिवादीगण संख्या एक ता तीन को बेची हैं तथा कस्तुरा ने अपनी कृषि आराजी प्रतिवादी संख्या चार से छः को बेची हैं। प्रतिवादीगण ने उक्त वाद के समर्थन में अपना जवाबदावा प्रस्तुत कर DW 1 व DW 2 गवाह प्रस्तुत किये जिसमें DW 1 के रूप में प्रतिवादीगण संख्यां दो रूपसिंह प्रस्तुत हुआ हैं। जिसने अपनी जिरह में स्वीकार किया हैं कि प्रतिवादीगण द्वारा जो जवाब दावा प्रस्तुत किया गया हैं उसमें वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के पैरा संख्या चार को सही माना है तथा यह बताया हैं कि यह बात सही हैं कि मैने रणछोडदास से जो जमीन खरीदी उसी जमीन का कब्जा मुझे सुपुर्द किया था व बताई हुई जमीन पर ही मेरा कब्जा हैं। उक्त गवाह ने यह भी स्वीकार किया हैं कि मैने वादी वैनाराम से यह बात की थी कि आप की जमीन हमे दे दो ओर हमारी जमीन आप ले लो लेकिन वादी इस बात से सहमत नहीं हैं। उक्त गवाह ने भी वादी वैनाराम की कृषि भूमि को खसरा संख्या 2926 की पूर्व दिशा में आई हुई होना बताया हैं। तथा वादी द्वारा नक्शा प्रर्दश 3 उक्त गवाह को बताया गया तो गवाह ने नक्शे में दर्शित ABCD भाग को वैनाराम का होना बताया हैं। DW 2 के रूप में प्रतिवादीगण संख्या तीन माधुसिंह उपस्थित हुआ जिसने जवाब दावा पेश होने से भी इन्कार किया हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeraj Mishra
Date: 2025.10.27 13:03:44 IST
Reason: SelfAttested

लगातार पेज–4

सहायक कलक्टर
शिवगंज (सिरोही)

तथा कबुल किया हैं कि उक्त जवाब दावा पर मेरे हस्ताक्षर नहीं हैं तथा न ही मेरी तरफ से कोई उक्त वाद की पेरवी हेतु वकील नियुक्त किया हैं। उक्त गवाह ने यह बताया है कि उक्त भूमि में मैं खातेदार हुॅ यह सही हैं कि हमनें यह जमीन रणछोड दास से खरीदी हुई हैं। उन्होने जहां कब्जा दिया वहां पर ही हमारा कब्जा हैं। उक्त दोनों गवाहो से भी साबित हैं कि वादी वैनाराम व उसके भाई सांकलाराम की भूमि खसरा संख्या 2926 की पूर्व दिशा में आई हुई स्थित हैं जिस पर वो काबिज काश्त हैं। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा वादी के वाद पत्र का खंडन कर दावा खारीज करने का निवेदन किया व कथन किये कि उक्त भूमि पर प्रतिवादी सं0 7 व 8 ने कभी भी खेती नहीं की है। वादी एवं प्रतिवादी सं0 7 व 8 ने उक्त आराजी पर जबरन कब्जा करने के लिये उक्त वाद पेश किया है। जबकि इनका उक्त आराजी में कोई हक अधिकार नहीं है।

हमनें पत्रावली का अवलोकन, प्रस्तुत दस्तावेज, साक्ष्य व विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर गंभीरता पूर्वक मनन किया तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वादीगण द्वारा चाही गई खातेदारी घोषणा सांकलाराम के द्वितीय श्रेणी के वारीसान वादी वैनाराम के कायम मुकाम व प्रतिवादीगण संख्या 07 व 08 अपने हक में करवाने के अधिकारी हैं जो कि वादी वेनाराम के शपथ पत्र से भी साबित होता है तथा वादी ने वाद के संलग्न नक्शे अनुसार ABCD मार्क अनुसार तरमीम करवाने का निवेदन किया हैं जो वादी की जिरह से भी स्पष्ट हैं कि वादी व उसके भाई की खातेदारी भूमि 2926 के पूर्व दिशा में आई हुई स्थित थी जिसे प्रतिवादीगण ने अपने जवाब दावे में वादी के वाद पत्र के पैरा संख्या चार को स्वीकार किया हैं तथा प्रतिवादीगण ने अपने जिरह में भी वादीगण व उसके भाई सांकलाराम की कृषि भूमि को खसरा संख्या 2926 के पूर्व दिशा में होना स्वीकार किया हैं तथा वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रर्दश–3 में मार्क ABCD भाग को प्रतिवादीगण द्वारा वादी वैनाराम का होना बताया हैं तथा प्रतिवादीगण ने अपने जिरह मैं भी जमीन की अदला बदली की बात को स्वीकार किया हैं। जिससे यह स्पष्ट हैं कि वादी वैनाराम व उसके भाई सांकलाराम की कृषि आराजी आवंटन के समय से ही खसरा संख्या 2926 के पूर्व दीशा में रही हैं जिस पर उक्त वादी व उसके स्वर्गवास के उपरान्त उसके कायम मुकाम व सांकलाराम के स्वर्गवास के उपरान्त उसके द्वितीय श्रेणी के वारीसान काबिज काश्त हैं। पत्रावली में सलग्न दस्तावेजो व साक्षयो के आधार पर वादी का वाद पत्र विरुद्ध प्रतिवादीगण कतिपय प्रवधानो के तहत स्वीकार कर डिकी किया जाता हैं।

अतः उल्लेखित व विवेचित तथ्यो के परिणाम स्वरूप वादीगणों का वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 06 के विरुद्ध डिक्री किया जाता हैं कि वादीगण द्वारा चाही गई खातेदारी घोषणा सांकलाराम के खातेदारी की कृषि आराजी मौजा मनादर–2 के खसरा संख्या 2926/4 के द्वितीय श्रेणी के वारीसान वादी वैनाराम के कायम मुकाम व प्रतिवादीगण संख्या 07 मोहनलाल व प्रतिवादी संख्या 08 गणेशाराम हैं। उक्त द्वितीय श्रेणी के वारीसान होने से वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 92'ए',188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर उक्त तीनों के नाम स्व. सांकलाराम के कृषि आराजी के खसरा नं. 2926/4 रकबा 10–00 बीघा में प्रत्येक 1/3 हक हिस्से अनुसार खातेदारी की घोषणा की जाती हैं तथा खसरा संख्यां 2926 के पूर्व दिशा में वादी वैनाराम व उसके पास उसके भाई सांकलाराम अब वर्तमान में वैनाराम के स्थान पर उसके कायम मुकाम भूरी देवी पत्नि वैनाराम, लक्ष्मीदेवी पुत्री वैनाराम, हीरालाल पुत्र वैनाराम व रिंकु पुत्री वैनाराम तथा उसके पास पशचिम दीशा की तरफ सांकलाराम अब वर्तमान में उसके द्वितीय श्रेणी के वारीसान स्व. वैनाराम के कायम मुकाम व गणेशाराम, मोहनलाल पुत्रगण पुनमारामजी के नाम दर्ज कर तरमीम करवाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं तथा शेष पश्चिम दिशा की तरफ प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 06 के नाम तरमीम करवाने के आदेश जारी किये जाते हैं। प्रतिवादीगण सं0 1 ता 6 व उनके ऐजेन्टों के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है व प्रतिवादी सं0 1 ता 6 व उनके ऐजेन्ट वादी के तरमीमशुदा कब्जा कास्त में किसी भी प्रकार की दखलअंदाजी नहीं करे। यह निर्णय आज मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज तारीख 02.05.2025 को जारी किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeraj Mishra
Date: 2025.10.27 13:03:44 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शिवगंज (राजस्थान)

(नीरज मिश्र)
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
शिवगंज
सहायक कलक्टर शिवगंज (सिरोही)

क्रमांक/कोर्ट/2025/ 263
दिनांक 02.05.2025

प्रतिलिपि पालनार्थः–
तहसीलदार, शिवगंज।

सहायक कलक्टर
शिवगंज (सिरोही)

डिगरी व मुकदमें इब्तदाई

(ओ 20 रूल 67 जाब्ता दिवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी), शिवगंज

बइजलास श्री नीरज मिश्र, आर0ए0एस0

वादी

वेनाराम के कायम मुकाम

1/1 भूरीदेवी पत्नि श्री वेनाराम, जाति घांची, निवासी मनादर, तहसील शिवगंज व जिला सिरोही।

1/2 लक्ष्मीदेवी पुत्री श्री वेनाराम, पत्नि पारसजी, जाति घांची, निवासी मनादर, हाल सेदरीयां।

1/3 हिरालाल पुत्र श्री वेनाराम, जाति घांची, निवासी मनादर, तहसील शिवगंज, जिला सिरोही।

1/4 रिंकु पुत्री श्री वेनाराम, जाति घांची, उम्र 20 वर्ष, निवासी मनादर, तहसील शिवगंज, जिला सिरोही।

बनाम

प्रतिवादीगण

1. छैलसिंह पुत्र श्री मूलसिंहजी, जाति राजपुत, निवासी मनादर।
2. रूपसिंह पुत्र श्री मूलसिंहजी, जाति राजपुत, निवासी मनादर।
3. माधुसिंह पुत्र श्री मूलसिंहजी, जाति राजपुत,, निवासी मनादर।
4. जब्बरसिंह पुत्र श्री भवानीसिंह, जाति राजपुत,, निवासी मनादर।
5. हडमतसिंह पुत्र श्री भवानीसिंह, जाति राजपुत,, निवासी मनादर।
6. प्रतापसिंह पुत्र श्री भवानीसिंह, जाति राजपुत,, निवासी मनादर।
7. मोहनलाल पुत्र श्री पुनमारामजी, जाति घांची, निवासी मनादर।
8. गणेशाराम पुत्र श्री पुनमारामजी, जाति घांची, निवासी मनादर।
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, शिवगंज, तहसील शिवगंज, जिला सिरोही।

विद्वान अधिवक्ता श्री जितेन्द्रसिंह राठौड

विद्वान अधिवक्ता श्री श्रवणकुमार परिहार

<u>राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 92 'ए',188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

वाद संख्या 02/2016

—::आदेश::—

दिनांक 02.05.2025

अतः उल्लेखित व विवेचित तथ्यो के परिणाम स्वरूप वादीगणों का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 06 के विरूद्ध डिक्री किया जाता हैं कि वादीगण द्वारा चाही गई खातेदारी घोषणा सांकलाराम के खातेदारी की कृषि आराजी मौजा मनादर–2 के खसरा संख्या 2926/4 के द्वितीय श्रेणी के वारीसान वादी वैनाराम के कायम मुकाम व प्रतिवादीगण संख्या 07 मोहनलाल व प्रतिवादी संख्या 08 गणेशाराम हैं। उक्त द्वितीय श्रेणी के वारीसान होने से वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 92'ए',188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर उक्त तीनों के नाम स्व. सांकलाराम के कृषि आराजी के खसरा नं. 2926/4 रकबा 10–00 बीघा में प्रत्येक 1/3 हक हिस्से अनुसार खातेदारी की घोषणा की जाती हैं तथा खसरा संख्यां 2926 के पूर्व दिशा में वादी वैनाराम व उसके पास उसके भाई सांकलाराम अब वर्तमान में वैनाराम के स्थान पर उसके कायम मुकाम भूरी देवी पत्नि वैनाराम, लक्ष्मीदेवी पुत्री वैनाराम, हीरालाल पुत्र वैनाराम व रिंकु पुत्री वैनाराम तथा उसके पास पश्चिम दिशा की तरफ सांकलाराम अब वर्तमान में उसके द्वितीय श्रेणी के वारीसान स्व. वैनाराम के कायम मुकाम व गणेशाराम, मोहनलाल पुत्रगण पुनमारामजी के नाम दर्ज कर तरमीम करवाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं तथा शेष पश्चिम दिशा की तरफ प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 06 के नाम तरमीम करवाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। प्रतिवादीगण सं0 1 ता 6 व उनके ऐजेन्टों के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है । खर्चा पक्षकार अपना अपना वहन करे ।

आज दिनांक 02.05.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया ।

(नीरज मिश्र)

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)

शिवगंज

	रूपया/पै..	मुद्दायलाह	रूपया/पैसे
मुदाई			
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर मुतफरीक बाबतइजराय हुक्मनामा मीजान	–शून्य–	स्टाम्प [illegible]नामा [illegible]ताना व [illegible] फीस [illegible] बाबत[illegible] हुक्मनामा मीजान	–:शून्य:–

Signature Not Verified

Digitally signed by Neeraj Mishra
Date: 2025.10.27 13:03:44 IST
Reason: SelfAttested

क्रमाक/कोर्ट/2025/ 264

दिनाक 02.05.2025

प्रतिलिपि सूचनार्थः–

तहसीलदार शिवगंज

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)

शिवगंज (सिरोही)